

1. पद अनुसार लक्ष्य, कार्य दायित्व, अधिकार, कर्तव्य एवं आपके लाभ :-

क्र.स.	पदनाम	लक्ष्य एवं कार्य दायित्व, अधिकार, कर्तव्य एवं आपके लाभ
1.	लघु उद्यम विस्तार अधिकारी	लक्ष्य एवं कार्य दायित्व ➤ जिले में ब्लॉक स्तर पर मध्यम क्षमता के स्वचालित (Automatic) व अर्द्ध स्वचालित (Semi Automatic) घरेलु (Domestic) पशु आहार प्लांट को क्रमशः स्थापित एवं विक्रय करवाना। यह प्लांट किसी भी गौशाला संचालक, दूध डेयरी संचालक व अन्य इच्छुक व्यक्ति की स्वयं वित्त व्यवस्था द्वारा लगाया जा सकेगा। ➤ आपका प्रथम लक्ष्य ब्लॉक स्तर पर एक स्वचालित (Automatic) पशु आहार प्लांट स्थापित करवाना है। ➤ उस प्लांट पर निगम के निर्देशानुसार उच्च गुणवत्ता का पशु आहार तैयार करवाना तथा पशु आहार की बिक्री करवाना है। ➤ प्लांट स्थापित होकर प्रारम्भ होने पर आपका मासिक लक्ष्य ब्लॉक स्तर पर 1800 कट्टे पशु आहार का विक्रय करना होगा। ➤ पशुपालकों व किसानों को उत्तम गुणवत्ता का यूरिया रहित पशु आहार प्रदान कर उनके साथ मजबूत सम्बन्ध स्थापित करना। अधिकार ➤ लघु उद्यम विस्तार अधिकारी के अधीन 3 लघु उद्यम विकास सहायक होंगे। ➤ लघु उद्यम विस्तार अधिकारी के कार्य क्षेत्र में यह संख्या नहीं होने या कम होने की स्थिति में निगम की लिखित अनुमति के साथ लघु उद्यम विकास सहायक नियुक्त किये जा सकेंगे। कर्तव्य ➤ क्षेत्र में लघु उद्यम विकास सहायक नहीं होने की स्थिति में सम्पूर्ण लक्ष्य लघु उद्यम विस्तार अधिकारी द्वारा पूरा किया जाएगा। ➤ सभी अधीनस्थ कर्मचारियों को निर्देश देना एवं लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रोत्साहित करना। ➤ क्षेत्र में दिये गये लक्ष्यानु रूप कार्य हो ये सुनिश्चित करना। ➤ समस्त प्रकार के खर्चों पर नियंत्रण करना। ➤ निगम को निश्चित प्रपत्र पर अपनी कार्यदायित्वों की रिपोर्ट देना। ➤ अन्य आदेशित कार्य आवश्यक रूप से करना। आपके लाभ :- ➤ प्लांट के प्रारम्भ होने के साथ ही आपको लक्ष्यानुसार पशु आहार के विक्रय पर आपका मासिक वेतन 40,000/- रु. देय होगा एवं प्रतिवर्ष बिक्री में वृद्धि के आधार पर मासिक वेतन में बढ़ोतरी की जायेगी। ➤ आपके द्वारा पशु आहार प्लांट स्थापित करने के एवज में निगम द्वारा प्लांट की बिक्री बिल का 5 प्रतिशत कमीशन अलग से देय होगा। ➤ मासिक लक्ष्य की प्राप्ति पर 1000/- रु. वाहन भत्ता निगम द्वारा अलग से देय होगा। लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होने पर यह भत्ता देय नहीं होगा।
2.	लघु उद्यम विकास	लक्ष्य एवं कार्य दायित्व ➤ आपके कार्य क्षेत्र में आपके अधीन आपके जिले की कुल 10 ग्राम पंचायत होगी। जहाँ आपको

	सहायक	पशु आहार की बिक्री के लिए प्रभावी योजना तैयार कर उन योजनाओं को सफल बनाना है । ➤ आपके ब्लॉक में प्लांट स्थापित होकर उत्पादन प्रारम्भ होने पर आपका मासिक लक्ष्य आपके अधीन कार्य क्षेत्र की कुल 10 ग्राम पंचायत में 600 कट्टे पशु आहार का विक्रय करना होगा । ➤ पशुपालकों व किसानों को उत्तम गुणवत्ता का यूरिया रहित पशु आहार प्रदान कर उनके साथ मजबूत सम्बन्ध स्थापित करना तथा साथ ही पशुओं के लिये सर्वोत्तम आहार की सलाह देना । ➤ क्षेत्र में ताजा यूरिया रहित पशु आहार का प्रचार- प्रसार करना । कर्तव्य ➤ लघु उद्यम विस्तार अधिकारी के अधीन निर्देशों की पालना करना । ➤ निगम/ लघु उद्यम विस्तार अधिकारी को निश्चित प्रपत्र पर अपनी कार्यदायित्वों की रिपोर्ट देना । आपके लाभ :- ➤ ब्लॉक पर प्लांट के प्रारम्भ होने के साथ ही आपको लक्ष्यानुसार पशु आहार के विक्रय पर आपका मासिक वेतन 30,500/- रु. देय होगा एवं प्रतिवर्ष बिक्री में वृद्धि के आधार पर मासिक वेतन में बढ़ोतरी की जायेगी । ➤ मासिक लक्ष्य की प्राप्ति पर 2000 /- रु. वाहन भत्ता निगम द्वारा अलग से देय होगा । लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होने पर यह भत्ता देय नहीं होगा । अन्य लाभ :- ➤ आपके ब्लॉक पर आपके प्रयास द्वारा यदि कोई स्वचालित पशु आहार प्लांट स्थापित किया जाता है तो आपको पदोन्नत करके लघु उद्यम विस्तार अधिकारी बनाया जायेगा एवं उसके सभी लाभ आपको प्राप्त होंगे ।
--	-------	--

विशेष :- किसी भी कर्मचारी को किसी भी तरह का विज्ञापन, प्रचार - प्रसार सामग्री एवं अन्य स्टेशनरी का खर्चा निगम की अनुमति के बिना देय नहीं होगा । अतः उपरोक्त पर किसी भी तरह का खर्चा करने से पूर्व निगम से लिखित अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है । बिना अनुमति के किये गये व्यय की जिम्मेदारी स्वयं कर्मचारी की होगी ।

विशेष :-

1. लक्ष्यानुसार कार्य नहीं करने पर मासिक वेतन का भुगतान नियमानुसार आनुपातिक कटौती कर किया जाएगा।
2. अंतिम रूप से चयनित सभी आवेदकों को निगम द्वारा **2.5 लाख रु.** का दुर्घटना बीमा निःशुल्क किया जायेगा ।

घोषणा पत्र

मैं जानता हूँ कि उक्त आवेदन शुल्क वापसी देय नहीं है ।

मैं उपरोक्त आवेदक घोषणा करता / करती हूँ कि चाहे गये मापदण्डानुसार आयु पूर्ण करता / करती हूँ एवं मेरी किसी भी प्रकार की आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है ।

मैं घोषणा करता / करती हूँ कि उपरोक्त श्रेणी/ पद जिस हेतु मैंने आवेदन किया है की आवश्यक जानकारी , नियम शर्तें मेरे द्वारा भलीभांति पढ़ एवं समझ ली गई है ।

मैं घोषणा करता / करती हूँ कि उपरोक्त वर्णित मेरे द्वारा दी गई जानकारी सही एवं सत्य है । मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है ।

मैं घोषणा करता / करती हूँ कि यह मैंने स्वयं की इच्छा से उपरोक्त वर्णित सभी जानकारी स्वीकार एवं हस्ताक्षरित की है । यह मैंने

किसी बाहरी दबाव में, जबरदस्ती से या बहकावे में आकर नहीं किया है। समस्त प्रकार के कानूनी विवादों के सम्बन्ध में न्याय क्षेत्र उत्तर, क्षेत्रिय कार्यालय जयपुर (राजस्थान) ही होगा।

दिनांक :-

आवेदक का नाम एवं हस्ताक्षर

स्थान :-

2. पद का नाम/ पद संख्या/ पारिश्रमिक :-

क्र.स.	पदनाम	पद संख्या	मासिक वेतन (रुपयों में)☆
1.	लघु उद्यम विस्तार अधिकारी	562	40,000/-
2.	लघु उद्यम विकास सहायक	1686	30,500/-

आवेदक विज्ञापित एक से अधिक पदों के लिए अलग - अलग आवेदन प्रस्तुत करे, रिक्त पदों की संख्या में कमी या वृद्धि की जा सकती है।

☆ उपर्युक्त मासिक वेतन / लाभ आपके कुल लक्ष्य के अनुसार आंकलित किया गया है। लक्ष्यानुसार कार्य नहीं करने पर मासिक वेतन का भुगतान नियमानुसार आनुपातिक कटौती कर किया जाएगा।

☆ उपर्युक्त मासिक वेतन के अलावा किसी भी प्रकार का अन्य भत्ता देय नहीं होगा।

नोट:- निगम में 2 साल कार्यकाल पूरा होने के बाद विशेषाधिकार के रूप में यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता, आवास भत्ता आदि नियमानुसार दिया जाएगा।

3. आयु सीमा :-

क्र.स.	पदनाम	आयु सीमा (वर्षों में)
1.	लघु उद्यम विस्तार अधिकारी	21-45
2.	लघु उद्यम विकास सहायक	18-40

नोट :- आयु सीमा की गणना आवेदन करने की दिनांक के अनुसार की गयी है।

4. आवेदन शुल्क :-

क्र.स.	पदनाम	वर्ग	आवेदन शुल्क(रुपयों में)☆
1.	लघु उद्यम विस्तार अधिकारी	सभी वर्गों के लिये	944/-
2.	लघु उद्यम विकास सहायक	सभी वर्गों के लिये	826/-

☆ भारत सरकार के नियमानुसार आवेदन शुल्क में 18% GST शामिल है।

☆ निगम निजी क्षेत्र में पब्लिक लिमिटेड कम्पनी है आवेदन शुल्क सभी वर्गों के लिये समान है किसी भी प्रकार की छूट नहीं है।

☆ आवेदन शुल्क की राशि अप्रतिदेय अर्थात वापसी देय नहीं है।

☆ पहले से निगम में कार्यरत कर्मचारी/ अधिकारी निगम की पूर्व अनुमति से आवेदन के पात्र होंगे।

5. पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता :-

क्र.स.	पदनाम	शैक्षणिक योग्यता
1.	लघु उद्यम विस्तार अधिकारी	• भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय/ संस्था से किसी भी विषय में स्नातक ।
2.	लघु उद्यम विकास सहायक	• भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड / संस्था से किसी भी विषय में 10वीं उत्तीर्ण ।

अन्य योग्यताएँ :-

- 1) **स्वास्थ्य** - निगम में रिक्त पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवार अच्छे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का होना चाहिए ।
- 2) **चरित्र** - निगम में सीधी भर्ती के लिए आवेदक का चरित्र अच्छा / उत्तम होना चाहिए ।

विशेष:- उपर्युक्त योग्यता रखने वाले उम्मीदवार इस भर्ती के लिये आवेदन कर सकते हैं, उम्मीदवार को चुनाव किए गए क्षेत्र में ही नियुक्ति का अवसर प्रदान किया जाएगा ।

6. आवेदन अंतिम तिथि :-

दिनांक 25 नवंबर 2024 रात्रि 12:00 बजे तक ।

7. आवेदन प्रक्रिया :-

1. ऑनलाइन आवेदन के लिये निगम की वेबसाइट <https://www.bharatiyapashupalan.com/> पर जाये तथा Apply Online पर क्लिक करें ।
2. ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व विस्तृत विज्ञापन (Vacancy PDF) / नियम व शर्तों को डाउनलोड कर सभी जानकारियों को आवश्यक रूप से पढ़ें।
3. ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व स्कैन की हुई पासपोर्ट साइज फोटो एवं हस्ताक्षर (फोटो छः माह से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए) तैयार रखें ।
4. ऑनलाइन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी आवश्यक रूप से भरे ।

नोट :- आवेदक को सलाह दी जाती है कि ई - मेल आईडी एवं मोबाइल नंबर स्वयं का भरे ।

5. ऑनलाइन भुगतान :- आवेदन शुल्क का भुगतान किसी भी बैंक के डेबिट कार्ड , क्रेडिट कार्ड, UPI, वॉलेट और नेट बैंकिंग से किया जा सकता है । आवेदन शुल्क का भुगतान कर आवेदक कॉपी अपने पास सुरक्षित रखें ।
6. आवेदक को सलाह दी जाती है कि वह आवेदन पत्र एवं आवेदन शुल्क की रसीद का प्रिंट लेकर भविष्य के लिए सुरक्षित रखें । आवेदन पत्र को निगम के कार्यालय में भिजवाना आवश्यक नहीं है ।
7. उपरोक्त भर्ती से सम्बंधित सभी सूचनायें निगम द्वारा ई - मेल आई डी के माध्यम से आवेदक को भेजी जायेगी । अतः आवेदक अपनी ई-मेल आई डी (स्वयं की) पूर्ण एवं सही लिखें । गलत पता एवं गलत ई - मेल आई डी लिखने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी ।

8. चयन प्रक्रिया :-

(क).सर्वप्रथम अंतिम तिथि तक प्राप्त सभी आवेदन पत्रों की जाँच की जायेगी ।

विशेष:- आवेदक आवेदन पत्र में स्वयं का मोबाइल नंबर व ई-मेल आईडी भरें । गलत मोबाइल नंबर एवं ई-मेल आईडी के लिए आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा ।

(ख) आवेदन पत्र प्राप्ति के पश्चात फॉर्म में भरी गयी जानकारी के आधार पर आवेदकों को ई-मेल के द्वारा कार्य के सम्बन्ध में घोषणा पत्र भेजा जायेगा, जिसे आवेदक द्वारा 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर नोटेरी करवाकर डाक के माध्यम से निगम के पते पर भेजना होगा । इसकी जाँच के पश्चात् आपको साक्षात्कार हेतु बुलाया जायेगा । घोषणा पत्र नहीं भेजने अथवा घोषणा पत्र को गलत, अपूर्ण एवं निगम के निर्देशानुसार नहीं भेजने पर साक्षात्कार नहीं लिया जायेगा व आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा ।

विशेष :- निगम द्वारा कार्य के सम्बन्ध में घोषणा पत्र भेजे जाने सम्बंधित ई-मेल में दिए गये सभी निर्देशों को आवेदक द्वारा अच्छी तरह पढ़ एवं समझ कर कार्य के सम्बन्ध में घोषणा पत्र को 100 रुपये के स्टाम्प पर नोटेरी करवाकर निगम कार्यालय में अंतिम तिथि तक भेजना आवश्यक है यदि किसी आवेदक द्वारा गलत व अपूर्ण घोषणा पत्र भेजा जाएगा तो, गलत व अपूर्ण घोषणा पत्र को निगम द्वारा आपको बिना कोई सूचना भेजे निरस्त कर दिया जायेगा व साक्षात्कार की सूचना नहीं भेजी जायेगी ।

(ग) जिन आवेदकों द्वारा निगम से भेजा गया कार्य के सम्बन्ध में घोषणा पत्र 100 रुपये के स्टाम्प पर नोटेरी करवाकर निगम कार्यालय में भेजा जायेगा केवल उन्ही आवेदकों को साक्षात्कार के लिये ईमेल के माध्यम से बुलावा भेजा जायेगा । साक्षात्कार के समय आवेदक को पद के अनुसार मूल शैक्षणिक दस्तावेज, पहचान पत्र व अनुभव प्रमाण पत्र व इन सभी की स्वहस्ताक्षरित छाया प्रति प्रस्तुत करनी होगी ।

(घ) साक्षात्कार में सफल रहने वाले आवेदकों को कार्यशैली, रिपोर्टिंग व अन्य आवश्यक जानकारी के लिये एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया जायेगा। जिसकी सूचना निगम द्वारा आवेदक की रजिस्टर्ड ईमेल आई डी पर दी जायेगी । यह प्रशिक्षण जयपुर /लखनऊ में होगा जिसके लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा । प्रशिक्षण में होने वाला शेष व्यय निगम द्वारा वहन किया जायेगा ।

(ङ) अंतिम रूप से चयनित सभी आवेदकों को निगम द्वारा 2.5 लाख रु. का दुर्घटना बीमा निःशुल्क किया जायेगा ।

क्र.स.	पदनाम	साक्षात्कार परीक्षा कुल अंक
1.	लघु उद्यम विस्तार अधिकारी	100 अंक
2.	लघु उद्यम विकास सहायक	100 अंक

- आवेदक द्वारा साक्षात्कार परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिये 60 अंक लाना अनिवार्य है ।
- साक्षात्कार परीक्षा सिलेबस निम्नलिखित है । आवेदक इसको ध्यानपूर्वक पढ़े व उसी अनुसार तैयारी करें ।
 - व्यक्तित्व, पहनावा व अपीयरेंस | (Personality,Dressing & Appearance) :- 20 अंक
 - आपका गृह राज्य और उसका भूगोल | (Your home State and its Geography) :- 20 अंक
 - बातचीत व निर्णय क्षमता कौशल | (Communication & Decision Capacity Skill) :- 30 अंक
 - भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड के बारे में जानकारी | (Knowledge about BPNL) :- 10 अंक
 - विपणन व विक्रय | (Marketing & Salse) :- 10 अंक
 - वर्तमान में प्रमुख चर्चा के विषय | (Current Topics & Issues) :- 10 अंक

9. सामान्य जानकारी :-

1. भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड एक निजी क्षेत्र की पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जिसकी स्थापना सन 2009 में की गयी थी ।
2. निगम के बारे में अधिक जानकारी के लिये निगम की आधिकारिक वेबसाइट <https://www.bharatiyapashupalan.com> पर जाये, अथवा निगम के आधिकारिक सोशल मीडिया चैनल व यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें । अन्य किसी माध्यम से प्राप्त की गयी जानकारी के लिये भारतीय पशुपालन निगम जिम्मेदार नहीं होगा । निगम हेल्पलाइन न. 0141- 2202271, 9351899199 (सोमवार से शनिवार, सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक)
3. प्रत्येक पद हेतु आवेदन अलग - अलग करने होंगे ।
4. आवेदन शुल्क की राशि अप्रतिदेय है अर्थात वापसी देय नहीं है ।
5. किसी भी पद के लिए किये गए आवेदन को स्वीकार / अस्वीकार करने का अधिकार निगम के पास सुरक्षित है । इस हेतु आवेदनकर्ता का कोई भी आपत्ति मान्य नहीं है ।
6. निगम द्वारा पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन ही स्वीकार किये जायेंगे । अपूर्ण रहे आवेदनों को निगम द्वारा अस्वीकार कर सुचना ई - मेल आई डी अथवा डाक से भेजी जाएगी, एवं आवेदन निरस्त कर अन्य अवसर नहीं दिया जायेगा । आवेदन पत्र में ई - मेल आई डी (स्वयं की) लिखना अनिवार्य है । आवेदक द्वारा गलत ई - मेल आई डी लिखना अथवा निगम द्वारा भेजी गई ई - मेल को नहीं पढ़ने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी, एवं इस सम्बन्ध में निगम द्वारा कोई भी वाद- विवाद स्वीकार नहीं किया जायेगा ।
7. उपरोक्त भर्ती से सम्बंधित सभी सूचनायें निगम द्वारा डाक अथवा ई - मेल आई डी के माध्यम से आवेदक को दी जायेगी । अतः आवेदक आपकी डाक का पता एवं ई - मेल आई डी (स्वयं की) पूर्ण एवं सही लिखे । गलत पता एवं गलत ई - मेल आई डी लिखने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी ।
8. निगम द्वारा आवेदक को इस भर्ती से सम्बंधित सारी सूचनायें आवेदक के द्वारा लिखी गयी ईमेल आईडी पर ही भेजी जायेगी। आवेदक सूचना के लिये अपनी ईमेल आईडी के INBOX व SPAM BOX को चेक करें।

10 उत्पाद ट्रांसपोर्ट सम्बंधित नियम :-

पशु आहार पर लगने वाला ट्रांसपोर्ट का खर्चा, लोडिंग अनलोडिंग का खर्चा राजस्थान राज्य के लिये निगम द्वारा वहन किया जायेगा । उपरोक्त संबंध में अधिक सहायता के लिये आप नीचे दिए गए हेल्पलाइन नम्बर पर सम्पर्क कर सकते हैं।

हेल्पलाइन नम्बर - 0141-2202271 (सोमवार से शनिवार सुबह 10:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक)

11. पशु आहार प्लांट स्थापना सम्बंधित नियम :-

- स्वचालित (Automatic) पशु आहार प्लांट व अन्य आवश्यक उपकरण निगम द्वारा सशुल्क उपलब्ध करवाये जायेगे ।
- जगह का किराया, लेबर, बिजली का बिल, कच्चे माल की सुरक्षा राशि व पशु आहार बनाने में होने वाले समस्त खर्चे पशु आहार प्लांट लगाने व्यक्ति द्वारा वहन किये जायेगे ।
- पशु आहार प्लांट लगाने वाले व्यक्ति व निगम के मध्य कच्चा माल लेकर, तैयार माल निगम को वापस देने का एक अनुबंध किया जायेगा ।
- निगम द्वारा पशु आहार प्लांट लगाने वाले व्यक्ति को सुरक्षा राशि के एवज में कच्चा माल दिया जायेगा । पशु आहार प्लांट लगाने वाले व्यक्ति द्वारा कच्चा माल लेकर तैयार किया गया पशु आहार वजन के आधार पर लिया जाकर निगम द्वारा प्रति किलो पर बनवाई का भुगतान किया जायेगा एवं बदले में उतना ही कच्चा माल देय होगा ।
- पशुपालक स्वावलम्बन योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए नीचे दिये गये लिंक पर क्लिक करें

<https://bharatiyapashupalan.com/Home/NigamKiYognaayeDetails/9>

- उपरोक्त संबंध में अधिक सहायता के लिये आप नीचे दिए गए हेल्पलाइन नम्बर पर सम्पर्क कर सकते हैं।
हेल्पलाइन नम्बर - 9351899199 (सोमवार से शनिवार सुबह 10:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक)

स्वचालित (Automatic) पशु आहार प्लांट



चित्र प्रतिकात्मक है मूल प्लांट का डिजाइन अलग हो सकता है।

BPNI



उन्नत पशुपालन, उन्नत भारत